फर्द अहकाम

मूलीदेवी बनाम गजानन्द वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 179/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	13/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली आदेश, हेतु विचाराधीन है। वकील उभय पक्षों की बहस को श्रवण किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज० भू राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है। तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	दायर दिनांक	तारीख फैसला
179/2023	26.10.2023	13.01.2025

1. मूली देवी पत्नि रामफूल जाति मीणा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थीया

बनाम

1. गजानन्द पुत्र रणजीता जाति मीणा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ।
2. नेहना देवी पत्नि रणजीता जाति मीणा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ।
3. रामकिशन पुत्र रणजीता जाति मीणा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ।
4. रामलाल पुत्र रणजीता जाति मीणा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ।
5. रामेश्वर प्रसाद पुत्र रणजीता जाति मीणा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ।
6. विजय कुमार पुत्र रणजीता जाति मीणा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ।
7. प्रभूदयाल पुत्र छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ।
8. रामरतन पुत्र छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामकरण शर्मा :— वकील प्रार्थीया।
श्री किशनलाल :— वकील अप्रार्थी सं0 3

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवून्यू एक्ट

—:निर्णय :—

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा के यह प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भावपुरा पटवार हल्का गानोता, तहसील जमवारामगढ में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 91 रकबा 0.9200है0 जिसके गत खसरा नम्बर 48मिन रहे है जो राजस्व रिकार्ड में तरमीम शुदा भूमि रही है। जो प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी आराजियात है जिस पर प्रार्थीया काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थी सं0 1 ता 8 के नाम की खातेदारी 90 रकबा 1.5800है0 वाकै ग्राम भावपुरा में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 47/1 रहे है जो पूर्व से तरमीम शुदा रही है तथा हाल राजस्व नक्शें में पूर्व नक्शें से भिन्न नक्शा आकृति तरमीम कर गलत प्रकार से प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी भूमि की सीमाओं में कर दी जो दुरूस्तनीय है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 91 का हाल राजस्व नक्शा तरमीम को राजस्व कर्मचारियों ने गलत प्रकार से संकुचित कर दिया जिससे प्रार्थीया की शामलाती भूमि हाल खसरा नम्बर 91 का नक्शा संकुचित हो गया तथा उक्त भूमि के लगवा पूर्व दिशा में स्थित खसरा नम्बर 90 जिसके गत खसरा नम्बर 47/1 की सीमाओं को प्रार्थीया की खातेदारी की सीमाओं में सम्मिलित कर दिया। उक्त गलत तरमीम का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण गलत नक्शा तरमीम के आधार पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है तथा हाल नक्शें में पूर्व नक्शें से भिन्न तरमीम कर देने से सीमा विवाद हो गया इसलिये

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

प्रार्थीया के लिये उक्त प्रकरण नक्शा दुरूस्ती के लिये पेश किया जाना आवश्यक हुआ। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 91 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 48मिन के अनुरूप एव हाल खसरा नम्बर 90 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 47/1 के अनुरूप की जाकर हाल खसरा नम्बर 91, 90 के नक्शा की तरमीम पूर्व नक्शे अनुसार दुरूस्त की जावें जिसकी प्रार्थीया अधिकारी है। अतः प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम भावपुरा पटवार हल्का मानोता तहसील जमवारामगढ में स्थित हाल खसरा नम्बर 91 जिसके गत खसरा नम्बर 48मिन अनुसार हाल नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जावे व इसी प्रकार अप्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर 90 की नक्शा तरमीम को गत खसरा नम्बर 47/1 के अनुसार दुरूस्त किया जाकर पूर्व नक्शे अनुसार हाल नक्शे में तरमीम कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणो की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थीगण सं0 1, 2, 4 ता 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1, 2, 4 ता 8 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 3 की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल उपस्थित। जवाब पेश नही किया गया। अतः जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 9 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/136/2024/1281 दिनांक 22.04.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि वादी की भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.9200है0 मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकार्ड वादी की सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। आराजी खसरा नम्बर 91 के गत खसरा नम्बर संलग्न मिलान क्षेत्रफल अनुसार 48 मि0 है। प्रतिवादीगणं की भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 1.58है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण की सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 91 साबिक खसरा नम्बर 48 मि. की पूर्व की दिशा में खसरा नम्बर 90 साबिक खसरा नम्बर 47/2 में लगभग 4 मीटर का अन्तर प्रतित होता है। वर्तमान राजस्व नक्शा व गत राजस्व नक्शा सीट को मिलान करने व रकबा बरारी करने पर लगभग 4 मीटर का अन्तर पाया गया है। वर्तमान राजस्व नक्शें व गत नक्शे में खसरा नम्बर 91 (वर्तमान खसरा नम्बर) की पूर्वी सीमा को सेटलमेंट वक्त संहवन से खसरा नम्बर 90 में मिला दिया है जो की गत राजस्व नक्शें अनुसार सही नही है। अतः वर्तमान राजस्व नक्शा व गत राजस्व नक्शा अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 91 में पूर्व की सीमा लगवा खसरा नम्बर 90 में लगभग 4 मीटर का अन्तर प्रतित होता है।

वकील उभय पक्षों व पैरोकार सरकार की बहस गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम भावपुरा, पटवार हल्का मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 91 जिसके गत खसरा नम्बर 48मिन है, को गत खसरा नम्बर अनुसार रकबा बरारी करते हुए हाल नक्शा तरमीम दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ